To Make Underground Water Chemical Free

111. Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A: Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that chemical mixed water of industries in Panipat is polluting the underground water of villages of Israna, Gohana and Baroda Assembly Constituency; and

b) if so, the steps taken by the Government to make the underground water of above said villages chemical free ?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Reply:

a) No Sir. The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) is monitoring the quality of surface water including that of Rivers/Drains/Water Bodies and ground water in Panipat Districts at 7 locations under the National Water Monitoring Programme (NWMP) of Government of India. These locations are being monitored to ascertain the quality of water and the reports of ground water quality of Panipat Districts have been found to be meeting with the standards of drinking water as prescribed by Bureau of Indian Standards (BIS). The results of the analysis of water samples of the water bodies are submitted to the Central Pollution Control Board (CPCB) and also uploaded on the online portal of CPCB regularly.

Further, the industrial units are being inspected regularly by HSPCB and penal actions such as closure and prosecution are taken for all the violations observed. While there are no cases of illegal discharge of untreated effluent through borewell / reverse pumping detected in Panipat District.

The Public Health Engineering Department (PHED), Panipat has conducted ground water sampling of 47 nos. of tubewells installed and operated by PHED in the month of May, June & July, 2020 in Panipat District. It has been reported by PHED that ground water is fit for drinking purpose.

b) The following steps have been taken up by Government through District Administration of Panipat, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB), and other Agencies/Departments concerned for prevention and monitoring pollution of water in Panipat District.

i) There are 530 industrial units in Panipat District covered under consent management of the Haryana State Pollution Control Board

(HSPCB), out of which 326 water polluting units are required to install pollution control devices for treatment of trade/domestic effluent, and all these 326 units have installed pollution control devices. Out of these, 18 units have been found discharging trade/domestic effluent beyond prescribed standard and closure action has been taken against these 18 units and prosecution action has been taken against 4 units.

ii) 137 illegal bleach houses have been closed by Board in Panipat District in last two years.

iii) 50 industrial sectors/units have achieved zero liquid discharge in Panipat District.

iv) Directions have been issued to industries/ projects in Panipat District for installation of Online monitoring of effluent discharge from various highly polluting Industries, Common Effluent Treatment Plants (CETPs), Common Hazardous Waste & Bio Medical Waste treatment and disposal facilities-regarding self monitoring of compliance, and 35 units have installed the same in Panipat District and connected with HSPCB and CPCB servers, displaying the online data.

v) HSPCB has been regularly inspecting the polluting industries as per the policy approved by the State Government for different categories of industries to check the installation and operation of Pollution Control Devices by Water polluting units and compliance of prescribed standards for discharge of environmental pollutants. Besides regular mandatory inspections, the HSPCB is also conducting special inspections wherever it receives complaints through appropriate specified channels against the pollution, and wherever Court/Tribunal directions are received for conduct of inspection.

vi) Regular monitoring of the water quality of rivers and drains flowing through entire State of Haryana including Panipat District, is done by HSPCB.

vii) The State Government is also creating awareness on environmental issues through multimedia to sensitize and evoke participation of general public.

भूमिगत जल रासायनिक मुक्त बनाने के लिए

111. श्री जगबीर सिंह मलिक, एम0एल0ए0, क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:–

क. क्या यह तथ्य है कि पानीपत में उद्योगों का रासयानिक मिश्रित पानी इसराना, गोहाना और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांवो के भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है: तथा

ख. यदि हां, तो उक्त गांवों के भूमिगत जल को रासायनिक मुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमन्त्री का जवाब

क. नहीं श्रीमान जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच0एस0पी0सी0बी0) भारत सरकार के राष्ट्रीय जल निगरानी के कार्यक्रम (एन0डब्ल्यू0एम0पी0) के तहत 7 स्थानों पर नदियों/नालों/जल निकायों और भूजल सहित सतही जल की गुणवता की निगरानी कर रहा हैं। इन स्थानों पर पानी की गुणवता का पता लगाने के लिए निगारानी की जा रही है और पानीपत जिलें की भूजल गुणवता भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित पेयजल के मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। जल निकायों के पानी के नमूनों के विश्लेषण के परिणाम केंन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी0पी0सी0बी0 को सौंपे जाते हैं और नियमित रूप से सी0पी0सी0बी0 के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड़ किए जाते हैं।

इसके अलावा, एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा ओधौगिक इकाईयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और सभी चिन्हित उल्लघंन करने के लिए दंड और अभियोजन जैसे दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। जबकि पानीपत जिले में अनुपचारित अपशिष्ट के अवैध निर्वहन के कोई भी रिवर्स पंपिग व अनुपचारित अपशिष्ट नलकूपों के माध्यम से नहीं पाया गया हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी0एच0ई0ड़ी0), पानीपत द्वारा स्थापित 47 नलकूपों के इस वर्ष मई, जून और जुलाई 2020 से नमूना लिया गया हैं और बताया है कि भूजल पीने योग्य हैं।

ख. जिला प्रशासन ने पानीपत जिले में पानी के प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य एजेंसियों/विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ की सहमति प्रबंधन के तहत पानीपत जिले में 530 ओद्यौगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। जिसमें से 326 जल प्रदूषणकारी इकाइयों को व्यापार/घरेलू अपशिष्ट के उपचार के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती हैं, और इन सभी 326 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किए हैं। इनमें से 18 इकाइयों को निर्धारित मानक से परे व्यापार/घरेलू अपशिष्ट का निर्वाहन करते हुए पाया गया है और इन 18 इकाइयों के खिलाफ बंदीकरण कार्यवाही कर दी गई हैं और 4 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही की गई हैं।
2. पानीपत जिले में पिछले दो वर्षों में बोर्ड द्वारा 137 अवैध ब्लीच हाउस बंद किए गए हैं।
3. 50 ओद्यौगिक क्षेत्रों/इकाइयों ने पानीपत जिले में शून्य तरल निर्वहन (ZLD) लगाया है।
4. विभिन्न उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों , कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट, कामन हैजार्डस वेस्ट और बायों मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सुविधाओं और ऑनलाईन सेल्फ मॉनिटरिंग के संबंध में, पानीपत जिले में उद्योगों / परियोजनाओं के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। अनुपालन के लिए, 35 इकाइयों ने पानीपत जिले में सैल्फ मॉनेटिंरिंग उपकरण स्थापित कर लिया हैं। और एच0एस0पी0सी0बी0 और सी0पी0सी0बी0 सर्वर के साथ जुड़े हुए है और इसके ऑनलाइन आंकडे प्रर्दिशत करते हैं।
5. एच0एस0पी0सी0बी0 नियमित रूप से अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा विभिन्न जल प्रदूषण इकाइयों द्वारा प्रदूषित उद्योगों और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन का निरीक्षण और पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन का नियमित रूप से निरीक्षण करता रहा हैं। निरीक्षण के संचालन के लिए प्रदूषण के खिलाफ निर्दिष्ट चैनल और जहाँ भी माननीय न्यायालय/न्यायाधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं वहाँ बोर्ड़ विशेष जांच भी कर रहा हैं।
6. पानीपत जिले सहित पूरे हरियाणा में बहने वाली नदियों और नालों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा की जाती हैं।
7. राज्य सरकार मल्टीमीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुदों पर जागरूकता पैदा करने और आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं।